राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांकः–स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3081 /2022 दिनांक : 10 .10.2022

श्रीमती कमला बॉयला (RJ1196), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी) को दिनांक 28.10.2022 से 25.04.2023 तक ***180*** दिवस का ***मातृत्व अवकाश*** *(प्रथम संतान)* दिनांक 22.10.2022 से 27.10.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सीमा शर्मा (RJ0923), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी) को श्रीमती कमला बॉयला के उक्त ***मातृत्व अवकाश*** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ–साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी) के पद का ***अतिरिक्त कार्यभार*** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा ***पदस्थापित/नियुक्त*** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्व निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. **श्रीमती सीमा शर्मा** (RJ0923), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

07.10.2022

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांकः–स्था.बी.2 (4)/61/2017/ 6751 दिनांक :10.10.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 1889 दिनांक 19.09.2022 के सन्दर्भ में ।
3. **श्रीमती कमला बॉयला** (RJ1196), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी)।
5. **श्रीमती सीमा शर्मा** (RJ0923), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण–पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर ।

10.10.2022

सहायक रजिस्ट्रार